

अल्पकालीन निविदा सूचना

उ०प्र० पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पत्र संख्या: 3/ख-25/2014 दिनांक 30-10-2014 के द्वारा स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष शासनादेश संख्या: ए-2-1092/दस-2011-24(7)/95 दिनांक 25-11-2011 एवं उक्त क्रम में निर्गत उ०प्र० पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पत्र संख्या: ग्यारह-2222(बजट)-2005 दिनांक 11-6-12 के प्रस्तर-7 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम वर्तमान वित्तीय वर्ष-2014-15 में मानक मद सं०-25 लघु निर्माण के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यों के सम्पादन हेतु रजिस्टर्ड/प्रतिष्ठित फर्मों से मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र.सं.	कार्य का नाम	टेण्डर फार्म शुल्क	अर्नेस्टमनी
01	बैण्ड बैरिक हाउस गार्ड में जवानों के रहने 50 व्यक्तियों की क्षमता की एक ए.सी सीट बैरिक का निर्माण।	रु० 200/- प्रति फार्म	कार्य की धनराशि का दो प्रतिशत
02	बैण्ड बैरिक हाउस गार्ड में जवानों के रहने 50 व्यक्तियों की क्षमता की एक ए.सी सीट बैरिक का निर्माण।		

- 1- निविदा प्रपत्र दिनांक 10-01-2015 तक की अवधि में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य निर्धारित शुल्क जमाकर प्राप्त किया जा सकता है।
- 2- उक्त कार्य हेतु निविदा दिनांक 10-01-2015 तक की अवधि में डाली जा सकती हैं, जिसे दिनांक 10-01-2015 को अपराह्न 13.00 बजे वाहिनी के राजपत्रित अधिकारी उप सेनानायक अथवा सहायक सेनानायक द्वारा निविदादाता फर्म के प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी।
- 3- निविदा में प्रस्तावित कार्य की संख्या को कम अथवा अधिक किया जा सकता है। निविदा के साथ सम्बन्धित फर्म को प्रस्तावित कार्य का स्पेसिफिकेशन, उपयोगिता, कार्य पूर्ण करने की अवधि आदि का स्पष्ट विवरण/चार्ट संलग्न करना होगा।
- 4- सम्बन्धित फर्म को निविदा के साथ अपने फर्म के आयकर रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, चरित्र प्रमाणपत्र आदि अभिलेख संलग्न करना होगा।
- 5- प्रत्येक निविदा के साथ प्रस्तावित कार्य के कुल धनराशि के दो प्रतिशत के बराबर धनराशि अर्नेस्ट मनी के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 6- निविदा न्यूनतम दर के सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार की जायेगी।
- 7- कोई भी सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
- 8- कोई अधिवक्ता जो बार काउंसिल में पंजीकृत होगा, निविदा में भाग नहीं ले सकता है। इसी प्रकार ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार/फर्म निविदा नहीं डाल सकेंगे। निविदादाता को निविदा के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि वे न तो बार काउंसिल के पंजीकृत अधिवक्ता हैं न ही उनकी फर्म ब्लैक लिस्टेड की गयी है। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास रहेगा।

- 9- उक्त कार्यों से सम्बन्धित शर्तें, निर्देश एवं आगणन 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध हैं। इच्छुक फर्म किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पत्र संख्या: भ-21/2014

दिनांक: दिसम्बर: 22 ,2014

(उमेश कुमार श्रीवास्तव)

सेनानायक,

32वीं वाहिनी पीएसी,

लखनऊ।

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराने हेतु :-

- 1- पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक कम्प्यूटर, जवाहर भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि निविदा का प्रकाशन 30.12.2014 पुलिस की वेबसाइट पर कराने का कष्ट करें। (सीडी संलग्न है)
- 2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई, रायबरेली, अमेठी, खीरी/सेनानायक 35वीं, 10वीं, 25वीं, 30वीं, 27वीं, 11वीं, 2वीं, वाहिनी पीएसी।
- 3- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/अधिशायी अभियन्ता लो0नि0वि0/जिला उद्योग अधिकारी लखनऊ।
- 4- मो0 अकरम खॉ 512/325 चतुर्थ लेन निशातगंज लखनऊ, श्री राजीव प्रकाश मकान नं0-711/11 एलडीए कालोनी सहादतगंज लखनऊ, श्री मैजुदीन मोहम्मद 1/1067 विशालखण्ड गोमतीनगर लखनऊ एवं श्री नारद शर्मा बी-22 गौधीनगर कल्याणपुर लखनऊ।
- 5- समस्त राजपत्रित अधिकारी/शिविरपाल/सूबेदार सैन्य सहायक/समस्त दलनायक को निविदा का समुचित प्रचार/प्रसार कराने हेतु।
- 6- कार्यालय नोटिस बोर्ड/जिलाधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन हेतु।